

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 271 OF 2025

IN THE MATTER OF:
SHIVENDRA SINGH

.... APPLICANT

VERSUS

**U.P. POLLUTION CONTROL BOARD
& ORS.**

.... RESPONDENTS

INDEX

SLNo.	PARTICULARS	PAGES
1.	AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-1, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD	1-7
2.	<u>ANNEXURE-1</u> Copy of the Closer order dated 10.03.2026	8-11
3.	<u>ANNEXURE-2</u> Spot Memo dated 10.03.2026	12
4.	<u>ANNEXURE-3</u> Photograph of the site	13
5.	<u>ANNEXURE-4</u> Closer order dated 01.09.2025	14-15
6.	<u>ANNEXURE-5</u> Copy of the spot Memo 10.03.2026	16
7.	<u>ANNEXURE-6</u> Photograph of the site	17
8.	<u>ANNEXURE-7</u> Closer order dated 15.07.2025	18
9.	<u>ANNEXURE-8</u> Copy of the spot Memo date 10.03.2025	19

10.	<u>ANNEXURE-9</u> Photograph of the site	20
11.	<u>ANNEXURE-10</u> Closer order dated 01.09.2025	21-22
12.	<u>ANNEXURE-11</u> Copy of the spot Memo date 10.03.2026	23
13.	<u>ANNEXURE-12</u> Photograph of the site	24
14.	<u>ANNEXURE-13</u> Closer order dated 01.09.2025	25-26
15.	<u>ANNEXURE-14</u> Copy of the spot Memo date 09.03.2026	27
16.	<u>ANNEXURE-15</u> Photograph of the site	28
17.	<u>ANNEXURE-16</u> Closer order dated 15.07.2025	29
18.	<u>ANNEXURE-17</u> Copy of the spot Memo date 10.03.2026	30
19.	<u>ANNEXURE-18</u> Photograph of the site	31
20.	<u>ANNEXURE-19</u> The brick kilns Environmental Compensation	32-35

NEW DELHI
DATED: 14 .03.2026



(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)

Counsel for U.P. Pollution Control Board

138, New Lawyers Chamber,

Supreme Court of India,

New Delhi-110001

(M.) 9810252518

Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 271 OF 2025



IN THE MATTER OF:

Shivendra Singh

.... Applicant

Versus

Uttar Pradesh Pollution Control Board
& Ors.

.... Respondents



AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO.-1, UTTAR
PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

I, Ashutosh Chauhan aged about 45 years, S/o Late Shri Ratan Singh Chauhan presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Gorakhpur do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.
2. That by mean of the present original application the applicant has raised a grievance that respondent nos.09 to 14 Brick Kilns, i.e. M/S Maa Champa Enterprises Old Name: Prem Ji Brick Fields (Respondent No.-9), M/S India Int



Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

Udyog (Respondent No.-10), M/S Bharat Int Udyog (Respondent No.-11), M/s S.N.G. Int Udyog (Respondent No.-12), M/s Brij Narayan Singh HUF (Respondent No.-13) and M/S J.D.M. Int Udyog (Respondent No.-14), are operating without requisite permissions and in violation of the environmental norms.

3. That the present matter was came up for hearing on 29.05.2025 and upon considering the seriousness of the issue involved in the matter, this Hon'ble Tribunal has directed the Respondent No.-1, i.e. UPPCB, to immediately conduct a surprise check of the respondent's unit and if these units are found to be operating in violation of the environmental norms, take appropriate punitive and remedial action without any delay and submit the comprehensive action taken report before the Tribunal.
4. That in compliance to the above direction the UPPCB has undertaken the site visit and carried out the inspection of the Brick Kilns in question during 11.09.2025 filed its reply on 23.09.2025 alongwith the inspection report of the said brick kilns in question before this Hon'ble Tribunal for consideration.
5. That in the said inspection report it is discloses by the UPPCB that 05 Brick Kilns, i.e. Respondent Nos.-9, 10, 11, 12 and 14 named in the original application were found established and closed during the inspection dated 11.09.2025. Further, the Brick Kiln namely M/s Brij



Sirjesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

[Handwritten Signature]

Narayan Singh HUF (Respondent No.-13) was not found established in Village-Singha, Post-Kubersthan, Tehsil-Kasya, District-Kushinagar. A brick kiln in the name of M/s Shri Ram Singh HUF was found established in the above said village against who's a closure order has been issued by UPPCB vide letter no.-H. 32198/Circle-6/E.Bh./865/ Bandi Adesh Dated 01.09.2025. Further it is stated that M/s. India Ent Udyog (Respondent No.-10) is established in Village-Rasulpur, Post-PakdiBujurg, Tehsil-Padrauna, District-Kushinagar instead of Village-Prasadpur, Post-PakdiBujurg, Tehsil-Padrauna, District-Kushinagar.

6. That upon considering the reply filed by the UPPCB, this Hon'ble Tribunal vide its order dated 22.12.2025 was pleased to pass the following directions:

...5. The above reply affidavit of the UPPCB discloses that the brick kilns in question are operating in violations of the environmental norms and the action has been initiated against them. Hence, the UPPCB is directed to complete the action and file action taken report within 08 weeks.

6. In case where the closure order has been passed, the UPPCB will carry out the inspection in the month of January, 2026 and will ascertain if the brick kiln is complying with the closure order...

7. That in compliance to the order dated 22.12.2025 passed by the Hon'ble Tribunal, the officials of the UPPCB have get inspected the Brick Kilns in question on 09.03.2026 and 10.03.2026 alongwith the district administration and police



Girijesh Kumar Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

administration. During the course of inspection all the 06 UPPCB found operational in violation of the closure order issued by the UPPCB, against whose an action has been taken by the UPPCB in joint collaboration with the district administration and police administration. The details of Action Taken are described in the tabulated format hereinunder:

Compliance Status of Brick Kilns

S. No.	Name & Address of Brick Kiln	Status of CTE	Status of CTO	Closure Order Issued by UPPCB	Inspection Date	Operation Status at the time of Inspection	Action Taken
1.	M/s. Maa Champa Enterprises (earlier known as Premi Ji Bricks Pvt. Ltd.), Village-Gangrani, Post-Horlapur, Tehsil-Padrauna,, Distt-Kushinagar.	No	No	Show cause issued on dated 10.09.2025. Recommendation for issuing closure order has been sent to H.O. on dated 10.03.2026 annexed as Annexure-01	10.03.2026	Operational	At the time of inspection operation of Brick kiln was forced to stop with the help of the fire department in the presence of the district administration and police administration Spot Memo is Annexed as Annexure-02 . Photograph of the site is annexed as Annexure-03
2.	M/s. India Ent Udyog, Village-Rasulpur, Post-PakdiBujurg, Tehsil-Padrauna,, Distt-Kushinagar	No	No	01.09.2025 closure order is annexed as Annexure-04	10.03.2026	Operational	At the time of inspection operation of Brick kiln was forced to stop with the help of the fire department in the presence of the district administration and police administration Spot Memo is Annexed as Annexure-05 .



G. K. Gupta
NOTARY
GORAKHPUR

[Signature]

S. No.	Name & Address of Brick Kiln	Status of CTE	Status of CTO	Closure Order Issued by UPPCB	Inspection Date	Operation Status at the time of Inspection	Action Taken
							Photograph of the site is annexed as Annexure-06
3.	M/s. Bharat Ent Udyog, Village-amwaBujur g, Post-Kubersthan, Tehsil-Padrauna, Distt-Kushinagar	No	No	15.07.2021 closure order is annexed as Annexure-07	10.03.2026	Operational	At the time of inspection operation of Brick kiln was forced to stop with the help of the fire department in the presence of the district administration and police administration Spot Memo is Annexed as Annexure-08 . Photograph of the site is annexed as Annexure-09
4.	M/s. S.N.G. Ent Udyog, Village-Maharani, Post-Kubersthan, Tehsil-Padrauna, Distt-Kushinagar	No	No	01.09.2025 closure order is annexed as Annexure-10	10.03.2026	Operational	At the time of inspection operation of Brick kiln was forced to stop with the help of the fire department in the presence of the district administration and police administration Spot Memo is Annexed as Annexure-11 . Photograph of the site is annexed as Annexure-12
5.	M/s Shri Ram Singh HUF (Braj Narain Singh, H.U.F.) Village Singha, Post-	No	No	01.09.2025 Closure orderis annexed as Annexure-13	09.03.2026	Operational	At the time of inspection operation of Brick kiln was forced to stop with the help of the fire department in the presence of



13/3/26
NOTARY
GORAKHPUR

[Handwritten Signature]

S. No.	Name & Address of Brick Kiln	Status of CTE	Status of CTO	Closure Order Issued by UPPCB	Inspection Date	Operation Status at the time of Inspection	Action Taken
	Kubersthan, Tehsil- Kasya, Distt- Kushinagar						the district administration and police administration Spot Memo is Annexed as Annexure-14 . Photograph of the site is annexed as Annexure-15
6.	M/s. J.D.M. Ent Udyog, Village-Chaube Tola (Deoria Tola), Tehsil-Padrauna, Distt-Kushinagar	No	No	15.07.2021 closure order is annexed as Annexure-16	10.03.2026	Operational	At the time of inspection operation of Brick kiln was forced to stop with the help of the fire department in the presence of the district administration and police administration Spot Memo is Annexed as Annexure-17 . Photograph of the site is annexed as Annexure-18

8. That the illegal operation of the all 06 Brick Kilns in violation of the closure order issued by the UPPCB has been stopped by the UPPCB with the help of the district administration and police administration with strict direction that in future brick kilns should not be operated without consent and no objection.



9. That for illegal operation of the brick kiln, environmental compensation has been calculated and the same is annexed as **Annexure 19** to the affidavit.

Girijesh Kumar Gupta
13/3/20
NOTARY
GORAKHPUR

- 10. That the present affidavit is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.
- 11. It is most respectfully submitted that this Answering Respondents shall abide by any order(s) or direction(s) passed by this Hon'ble Tribunal in instant original application.
- 12. I state that everything stated above has been stated by me in my official capacity on and derived from the official records and I state that nothing material has concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Gorakhpur on this the 12th day of March, 2026 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT



461/26

Solemnly affirmed before me on
 10.03.26 by Shri 13.3.26
 Ashutosh Chauhan
 no del. but who is identified by Shri.
 I have satisfied my self by examining the deponent
 that he, she understands the contents of this affida
 * which has been made over explained by me

Identified the
 Signature of Ashutosh
 Chauhan. He signed
 before me as per Act
 13/3/26
 AN. UP 2989/88

Girijesh Kumar Gupta
 NOTARY
 GORAKHPUR



क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या

Ref. No.

1942/ली०-233/ई०अ०/2026

दिनांक

Dated...10-3-26

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6),
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय:

मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा० लि०), ग्राम- गांगरानी, पोस्ट- होरलापार, तहसील- पडरौना, जनपद- कुशीनगर के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस के सन्दर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या के प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक का संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। उक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा० लि०), ग्राम- गांगरानी, पोस्ट- होरलापार, तहसील- पडरौना, जनपद- कुशीनगर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र एच० 32505/वृत्त-6/ईट् भट्टा-869/का०ब०नो०/गोरखपुर/2025, दिनांक 10.09.2025 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। निरीक्षण आख्या पत्र से साथ मूल रूप में संलग्न है।

उक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि आख्या पत्र के साथ संलग्न कर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(आशुतोष चौहान)
क्षेत्रीय अधिकारी

01/11

Nitish Kumar

मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राईजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट- होरलापार, तहसील- पडरौना, जनपद- कुशीनगर के विरुद्ध जारी कारण बताओ नोटिस के सन्दर्भ में अद्यतन निरीक्षण आख्या।


उपरोक्त संदर्भित विषय के सम्बन्ध में उक्त ईट भट्टे का निरीक्षण अधोहरस्ताक्षरीगण द्वारा दिनांक 10.03.2026 को किया गया। निरीक्षण के समय श्री इन्द्रदेव सिंह (मो0- नं0- 8701142017) ईट भट्टे के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उक्त ईट भट्टा संचालनरत पाया गया। विस्तृत निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. उक्त मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राईजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट- होरलापार, तहसील- पडरौना, जनपद- कुशीनगर में स्थापित है, जिसका अक्षांश 26.834819 एवं देशान्तर 84.016977 है।
2. निरीक्षण के समय उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त ईट भट्टा वर्ष 2024 से स्थापित/संचालित है किन्तु उक्त के सम्बन्ध में उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।
3. उक्त ईट भट्टा जिग-जैक पद्धति पर स्थापित है। ईट भट्टे द्वारा कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग करके मिक्सिंग, मोल्डिंग एवं सनड्राई, फायरिंग इनक्लिन एवं नेचुरल कूलिंग करके 30,000 ईट प्रतिदिन की दर से उत्पादन किया जाता है।
4. कार्यालय अभिलेखानुसार संदर्भित ईट भट्टे द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन हेतु कभी भी जल एवं वायु सहमति प्राप्त नहीं की गयी है।
5. प्रश्नगत ईट भट्टा मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राईजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम- गांगरानी, पोस्ट- होरलापार, तहसील- पडरौना, जनपद- कुशीनगर का स्थल पर्यावरण अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के पत्र सं0 921/55-पर्या0/12-94(पर्या0)/11, दिनांक 27.06.2012 द्वारा नये ईट भट्टे की स्थापना हेतु बनायी गयी उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 में उल्लिखित स्थल सम्बन्धी मापदण्ड के अनुरूप स्थापित न होने के दृष्टिगत उक्त ईट भट्टा मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राईजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम- गांगरानी, पोस्ट- होरलापार, तहसील- पडरौना, जनपद- कुशीनगर के विरुद्ध बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0- एच0 32505/वृत्त-6/ईट भट्टा-869/का0ब0नो0/गोरखपुर/2025, दिनांक 10.09.2025 के माध्यम से कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में इस कार्यालय को कोई प्रतिउत्तर प्रेषित नहीं किया गया है।


अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए उक्त ईट भट्टा मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राईजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम- गांगरानी, पोस्ट- होरलापार, तहसील- पडरौना, जनपद- कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत पत्र एच0 32505/वृत्त-6/ईट भट्टा-869/का0ब0नो0/गोरखपुर/2025, दिनांक 10.09.2025 के द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी किये जाने की संस्तुति की जाती है।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


(डा0 आर0के0 सिंह)
प्रयोगशाला सहायक


नीतीश कुमार
अवर अभियन्ता

सहा0 पर्या0 अमि0/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय,


10/03/2026


10/03/2026



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या..... वृत्त-6/ईट भट्टा-869/का0ब0नो0/गोरखपुर/2025 दिनांक..... 10/09/25

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज,
(पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0),
ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना,
जनपद-कुशीनगर। (मो0-8601142017)

यह कि मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 30,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 (छाया प्रति संलग्न) के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण एवं संस्तुति आख्या के अनुसार मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर का निरीक्षण राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 19.08.2025 को किया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-आर्डिनेट्स-26.834819 अक्षांश एवं 84.016977 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 680 मीटर की दूरी पर ग्राम- सहजवलिया अनुमानित आबादी 700 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 550 मीटर की दूरी पर ग्राम हरैया खुर्द अनुमानित आबादी 400 स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 590 मीटर की दूरी पर ग्राम- गांगरानी अनुमानित आबादी लगभग 1300 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 870 मीटर की दूरी पर ग्राम बरहज अनुमानित आबादी 1500 स्थित है। पूरब- उत्तर दिशा में लगभग 450 मीटर की दूरी पर बाबू ब्रिज बिहारी सिंह महाविद्यालय स्थित है उक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की आख्यानुसार ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति निर्गत नहीं की गयी है।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत ईट भट्टा मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों के उल्लंघन के फलस्वरूप राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र दिनांक 20.08.2025 के माध्यम से ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति की गयी है।

AEE / SA
10
03/10/25

अतएव जन-स्वास्थ्य एव व्यापक जनाहंत म जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए यह आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है:-

1. यह कि क्यों न मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाय ?
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये कि वह आपके ईट भट्टे मेसर्स मां चम्पा इण्टरप्राइजेज (पूर्व नाम मेसर्स प्रेमी जी ब्रिक्स फील्ड प्रा0 लि0), ग्राम-गांगरानी, पोस्ट-होरलापुर, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर को जारी खनन अनुज्ञा तथा स्थानीय लाईसेन्स के साथ-साथ अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें ?

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना पक्ष 15 दिन के अन्दर बोर्ड को प्रेषित करें, उत्तर प्राप्त न होने अथवा सन्तोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर ईट भट्टे के विरुद्ध वायु(प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1981 (यथासंशोधित) की धारा-31ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ईट भट्टा एवं उसके स्वामी का होगा

संलग्नक:-यथोपरि।

Digitally signed by
Radhey Shyam
Date: 10-09-2025
11:28:11
पर्यावरण अभियंता,
प्रभारी, (वृत्त-6)

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टा स्वामी को प्राप्त कराते हुए पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में ईट भट्टे का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु सुस्पष्ट संस्तुति 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

स्पॉट मेमो

कार्यवाही दिनांक: 10/03/26

मेसर्स मॉन्टगो इण्डस्ट्रियल (इंटरनेशनल) प्रा. लि. (पूर्व नाम में प्रेम जी ब्रिक्स पीएलसी) को मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0- 271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 एवं उ0प्र0 राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश के अनुपालन में आज दिनांक 10/03/26 को उक्त ईट भट्टे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग, जिला पंचायत एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्टा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है। मौके पर ईट भट्टे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि श्री इन्द्रदेव सिंह को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्टा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ईट भट्टा प्रतिनिधि
इन्द्रदेव सिंह
10-3-26

10-3-26
अमर कुमार सिंह
कर अधिकारी
जि०पंचायत कुशीमठ

10-03-26
अनवरुल्लाह
राज्य निरीक्षण
जिला पंचायत

10/03/2026
L.P.
UPPCB

Nitesh kumar
10/03/2026
JE, UPPCB

L.P. - सुदेश प्रसाद
जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
10/03/26

Abhinav
10/3/26
द्वान अधिकारी

M/s. Maa Champa Enterprises (earlier known as Premi Ji Bricks Pvt. Ltd.), Village-Gangrani, Post-Horlapur, Tehsil-Padrauna., Distt-Kushinagar





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
Phone: 2720831, 2720828 & Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या.....

वृत्त-6/ ईट भट्टा-839/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2025

दिनांक..... 21/09/25

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स इण्डिया ईट उद्योग,
ग्राम-रसूलपुर, पोस्ट-पकड़ी बुजुर्ग, तहसील-पडरौना,
जनपद-कुशीनगर। (मोबाइल नं०-9838733513)

यह कि मेसर्स इण्डिया ईट उद्योग, ग्राम-रसूलपुर, पोस्ट-पकड़ी बुजुर्ग, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं०-एच.09011/वृत्त-6/ईट भट्टा-839/का०ब०न००/गोरखपुर/2024 दिनांक 04.04.2024 के द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 24.04.2024 को प्राप्त करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.04.2024 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 19.08.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-आर्डिनेट्स-26.854206 अक्षांश एवं 83.989222 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 3.0 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-गागरानी, अनुमानित आबादी लगभग 2000 है। पश्चिम दिशा में लगभग 1.0 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-रसूलपुर, अनुमानित आबादी लगभग 850 है। उत्तर दिशा में लगभग 2.0 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-मटिहनिया बुजुर्ग, अनुमानित आबादी लगभग 2000 है। दक्षिण दिशा में लगभग 1.5 कि०मी० की दूरी पर ग्राम-बेलदी अनुमानित आबादी 1500 है तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में 350 मीटर की दूरी पर ग्राम रसूलपुर का बनिया टोला अनुमानित आबादी 200 स्थित है। इस प्रकार ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों के अंतर्गत है।

उपरोक्त को
आप को दिया गया
03-10-25

A/E/S/1/4

03/10/25

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि किये जाने की संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्य मेसर्स इण्डिया ईट उद्योग, ग्राम-रसूलपुर, पोस्ट-पकड़ी बुजुर्ग, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है।

1. यह कि मेसर्स इण्डिया ईट उद्योग, ग्राम-रसूलपुर, पोस्ट-पकड़ी बुजुर्ग, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स इण्डिया ईट उद्योग, ग्राम-रसूलपुर, पोस्ट-पकड़ी बुजुर्ग, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

Digitally signed by

Radhey Shyam

Date: 29-08-2025

पर्यावरण अभियन्ता,

प्रभारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

स्पॉट मेमो


कार्यवाही दिनांक: 10/03/26

मेसर्स इण्डिया ईट उद्योग, नाम- खूनपुरा पो- पकड़ी बुजुर्ग, त- पड़रौना कुशीमगर को मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0- 271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 एवं उ0प्र0 राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश एच0.22.199/वृत्त-6/ई0प्र0-839/बन्दी आदेश/01/9/25 के अनुपालन में आज दिनांक 10/03/26 को उक्त ईट भट्ठे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग, जिला पंचायत एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है। मौके पर ईट भट्ठे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री दिलीप (मुन्शी) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्ठा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।


ईट भट्ठा प्रतिनिधि

दिलीप मुन्शी

10-03-2026

LPM - 
 नाम (रविन्द्र कुमार)
 10/3/26


 10-3-26
 Nitish Kumar
 जल अधिकारी
 जिले वं कुशीमगर


 10-03-26
 Anand Sharma
 राजस्थान निरीक्षक
 जिला प्रशासन

Nitish Kumar
 10/03/2026
 JE, UPRCB


 10/3/26
 Anand Sharma
 जल अधिकारी

ANNEXURE-06

M/s. India Ent Udyog, Village-Prasadpur, Post-Pakdi Bujurg, Tehsil- Padrauna, Distt-Kushinagar.





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Annexure-07

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 63446 /सी-6/सा0-632/ईट भट्टा/बन्दी आदेश/कुशीनगर/2021

Date 15.07.2021

पंजीकृत

M/s Bharat Int Udyog, Vill- Amwan Bujurg, Post- Kuber Asthan, Tehsil- Padrauna
जनपद-कुशीनगर

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कुशीनगर की सूची में आपके ईट भट्टों का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 में प्राविधानित है कि :-

..... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant.....

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कुशीनगर में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्टों की सूची में आपका ईट भट्टा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्टा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्टों के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्टों के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि आपके ईट भट्टों के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्टा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

Rutyagi
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्टों को प्राप्त कराये एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.com - Web Site: www.uppcb.com

प्रति प्राप्त किया
रुद्र अंसारी
...09.25

स्पॉट मेमो

कार्यवाही दिनांक: 10/03/26

मेसर्स भारत ईट उद्योग, अमा-अमवा बुजुर्ग, पो-कुबेरस्थान, तह-परौना, कुशीनगर को मा10 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0- 271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 एवं उ0प्र0 राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश क्र.6.3446/सी-6/सा0-632/ई0 ए0/बन्दी आदेश/कुशीनगर/2024, 15/07/21 के अनुपालन में आज दिनांक 10/03/26 को उक्त ईट भट्ठे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग, जिला पंचायत एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है। मौके पर ईट भट्ठे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री दयाशंकर तिवारी (कुशी) को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्ठा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ईट भट्ठा प्रतिनिधि
- दयाशंकर तिवारी
10-3-2026

सुरेन्द्र यादव
LFM-सुरेन्द्र यादव
जायर स्टेशन रविंद्रग
10/3/26

10-03-26
अजय कुमार सिंह
कर अधिकारी
जिला पंचायत कुशीनगर
10/3/26
Abhi LUK UPPCB
10/3/26
ब्यान अधिकारी

10-03-26
नरेश कुमार
10/3/26
जिला प्रशासन कुशीनगर
Nitesh Kumar
10/3/2026
J.E. UPPCB

M/s. Bharat Ent Udyog, Village-amwa Bujurg, Post-Kubersthan, Tehsil-Padrauna, Distt-Kushinagar.



Annexure - 10



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
 UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
 T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
 Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
 Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या..... वृत्त-6/ ईट भट्टा-840/बन्दी आदेश/गोरखपुर/2025

दिनांक..... 01/09/25

पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स एस0एन0जी0 ईट उद्योग,
 ग्राम-महारानी, पोस्ट-कुबेरस्थान, तहसील-पडरौना,
 जनपद-कुशीनगर। (मो0-9721857720)

यह कि मेसर्स एस0एन0जी0 ईट उद्योग, ग्राम-महारानी, पोस्ट-कुबेरस्थान, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 20,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं0-एच.09012/वृत्त-6/ईट भट्टा-840/का0ब0नो0/गोरखपुर /2024 दिनांक 04.04.2024 द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 24.04.2024 को प्राप्त करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 04.04.2024 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 19.08.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-आर्डिनेट्स-26.822654 अक्षांश एवं 84.02502 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 2.5 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम-कुबेरस्थान, अनुमानित आबादी लगभग 1000 है। पश्चिम दिशा में लगभग 870 मीटर की दूरी पर ग्राम-बरहज, अनुमानित आबादी लगभग 3000 है। उत्तर दिशा में लगभग 1.2 कि0मी0 की दूरी पर ग्राम-सजवलिया, अनुमानित आबादी लगभग 800 है तथा दक्षिण दिशा में लगभग 200 मीटर की दूरी पर ग्राम-महारानी अनुमानित आबादी 200 स्थित है। इस प्रकार ईट भट्टे का स्थल उ0प्र0 ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों के उल्लंघन है।

उत्तर प्रदेश
 राज्य बोर्ड
 गोरखपुर
 03-10-25

AEI/SAILA
 03/10/25

यह कि उक्त कारण बताआ नोटिस क अनुक्रम म राज्य बाड क क्षेत्राय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश जारी किये जाने की संस्तुति आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स एस0एन0जी0 ईट उद्योग, ग्राम-महारानी, पोस्ट-कुबेरस्थान, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि मेसर्स एस0एन0जी0 ईट उद्योग, ग्राम-महारानी, पोस्ट-कुबेरस्थान, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स एस0एन0जी0 ईट उद्योग, ग्राम-महारानी, पोस्ट-कुबेरस्थान, तहसील-पडरौना, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे को मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

Digitally signed by
Radhey Shyam
Date: 29-08-2025
प्रशासनिक अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

स्पॉट मेमो

कार्यवाही दिनांक: 10/03/26

मेसर्स एस्. एन. जी. ईट उद्योग, भा. महारानी, पो. कुबेरस्थान, ट. पड़रौना कुशीनगर को मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0- 271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 एवं उ0प्र0 राज्य बोर्ड के बन्दी आदेश एन. 32153/क. 6/ई. प्र. 840/ब. आदेश/ओ. 2025. 01/9/25 के अनुपालन में आज दिनांक 10/03/26 को उक्त ईट भट्ठे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग, जिला पंचायत एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण के समय ईट भट्ठा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्ठा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है। मौके पर ईट भट्ठे का संचालन कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्ठा प्रतिनिधि श्री ओ. म. का. को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्ठा संचालित न किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

ईट भट्ठा प्रतिनिधि

ओ. म. का.

10/3/26

10/03/26
अजय कुमार सिंह
कर/अधिकारी

जिला पंचायत कुशीनगर

10-03-26
अ. व. श. राय
राज्य निरीक्षक
जिला प्रदूषण
कुशीनगर

10/3/26
10/3/26

जान अधिकारी

Netish kumar
10/03/2026
JE-UPRB

UPM - सु. प्र. 5459

माय (एन. एन. रविशंकर)

10/3/26

ANNEXURE-12

M/s. S.N.G. Ent Udyog, Village-Maharani, Post-Kubersthan, Tehsil-Padrauna, Distt-Kushinagar.



Annexure-13



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD
T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow -226010
Phone: 2720831, 2720828 Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संदर्भ संख्या... 132198 वृत्त-6/ईट भटठा-865/बन्दी आदेश
दिनांक.....

01/09/24

सेवा में,

पंजीकृत

मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०,

ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया,

जनपद-कुशीनगर (मो०-7408361518)

यह कि मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में बालू, मिट्टी एवं पानी का प्रयोग कर 30,000 ईट प्रतिदिन के उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित है, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण), अधिनियम, 1981 की धारा 2 (ट) के अंतर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि उद्योग को बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं०-एच.30908 वृत्त-6/ईट भटठा-865/का०ब०नो०/गोरखपुर /2025 दिनांक 31.07.2025 के द्वारा कारण बताओ नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था तथा साथ ही साथ क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा भी उक्त कारण बताओ नोटिस की प्रति ईट भट्टे को दिनांक 02.08.2024 को प्राप्त करा दिया गया था। किन्तु ईट भट्टे द्वारा कारण बताओ नोटिस के परिप्रेक्ष्य में राज्य बोर्ड को कोई उत्तर/प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया गया है।

यह कि कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.07.2025 के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा ईट भट्टे का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 19.08.2025 को किया गया तथा निरीक्षण के समय ईट भट्टा का संचालन कार्य बन्द पाया गया।

यह कि राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर की उक्त आख्यानुसार ईट भट्टे का जिओ को-ऑर्डिनेट्स-27.071399 अक्षांश एवं 83.79246 देशान्तर है। ईट भट्टा स्थल के पूरब दिशा में लगभग 1.1 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम अनवा बुजुर्ग, अनुमानित आबादी लगभग 700 स्थित है। पश्चिम दिशा में लगभग 800 मीटर की दूरी पर ग्राम विशुनपुर भटवलिया अनुमानित आबादी 1200 स्थित है। उत्तर दिशा में लगभग 850 मीटर की दूरी पर ग्राम बतरौली बाजार अनुमानित आबादी लगभग 1000 स्थित है। दक्षिण दिशा में लगभग 900 मीटर की दूरी पर ग्राम जमुनिया, अनुमानित आबादी लगभग 500 स्थित है। उक्त से स्पष्ट है कि ईट भट्टे का स्थल उ०प्र० ईट भट्टा (स्थापना हेतु स्थल मापदण्ड) नियमावली, 2012 के अनुरूप नहीं है।

यह कि ईट भट्टे को राज्य बोर्ड से स्थापनार्थ एवं संचालन हेतु सहमति निर्गत नहीं किया गया है। बोर्ड से सहमति प्राप्त किये बिना ईट भट्टे की स्थापना किया जाना वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन है।

यह कि उक्त कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 20.08.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस की पुष्टि करते हुए बन्दी आदेश जारी किये

निवेदन को प्राप्त कर दिया गया है
प्रत्येक ओर
03-10-25

AEE/SA/EA
03/10/25

जान को सस्तुत आख्या प्राप्त हुई है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जन-हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि ईट भट्टे के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की संस्तुति के दृष्टिगत उद्योग मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा-31 ए के अन्तर्गत निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है-

1. यह कि मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आपके ईट भट्टे मेसर्स श्री राम सिंह एच०यू०एफ०, ग्राम सिंगहा, पो०-कुबेरस्थान, तहसील-कसया, जनपद-कुशीनगर की खनन अनुज्ञा एवं स्थानीय लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए ईट भट्टे का मिलने वाली अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दें।

Digitally signed by
Radhey Shyam
Date: 29-08-2025
प्रशासन अभियन्ता,
प्रभारी, वृत्त-6

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर।
2. पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर।
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, कुशीनगर।
4. जिला खनन अधिकारी, कुशीनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर उद्योग को निर्गत बन्दी आदेश का 03 कार्यदिवस में अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करे।

स्पॉट मेमो

कार्यवाही दिनांक: 09/03/26

मेसर्स श्री राम सिंह एच. यू. एफ. ए. - सिंगरा, पो. - कुवेरखाम, त. - कल्या
कुशीनगर को मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0- 248/2025 अमित मद्धेशिया
बनाम उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 एवं उ0प्र0 राज्य बोर्ड
के बन्दी आदेश संख्या-32198/वृत्त-6/ई0ए0-865/बन्दी आदेश 01/09/25 के
अनुपालन में आज दिनांक 09/03/26 को उक्त ईट भट्टे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन
विभाग, जिला पंचायत एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया।
निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्टा उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से
स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है। मौके पर ईट भट्टे का संचालन
कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि श्री आनिल
रामेश सिंह (धुरी) को उ0प्र0
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्टा संचालित न किये जाने
हेतु निर्देशित किया गया।

ईट भट्टा प्रतिनिधि

राजेश सिंह

9/3/26

Abhishek

9/3/26

जान अधिकारी

Ramesh Singh

9/03/2026

उपस्थित

Nitesh Kumar
9/03/2026
UPPCB

mduwgm@258


9/03/2026

L.A

UPPCB 449

9/3/26
NRUS

M/s Shri Ram Singh HUF, Vill-Singaha, Post- Kubersthan, Tehsil-Kasia, Distt- Kushinagar





उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No H 63446 /सी-6/सा0-632/ईट भट्टा/बन्दी आदेश/कुशीनगर/2021

Date 15.07.2021

पंजीकृत

M/s J.D.M. Int Udyog, Vill- Deoria Tola, Horilapur, Tehsil- Padrauna
जनपद-कुशीनगर

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कुशीनगर की सूची में आपके ईट भट्टों का नाम अंकित है, जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा। उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में मिट्टी, पानी, कोयला का प्रयोग कर ईट के उत्पादन हेतु स्थापित है एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-2(ट) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 में प्राविधानित है कि :-

..... 21. Restrictions on use of certain industrial plants.—

(1) Subject to the provisions of this section, no person shall, without the previous consent of the State Board, establish or operate any industrial plant in an air pollution control area: Provided that a person operating any industrial plant.....

यह कि क्षेत्रीय कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद कुशीनगर में राज्य बोर्ड की सहमति प्राप्त किये बिना स्थापित अथवा संचालित किये गये अवैध ईट भट्टों की सूची में आपका ईट भट्टा भी सम्मिलित है। आपके ईट भट्टा उद्योग का उक्त कृत्य वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा-21 का उल्लंघन है।

अतः जनहित एवं जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुये यह आवश्यक है कि आपके ईट भट्टों के संचालन को तत्काल प्रभाव से रोका जाये।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये आपके ईट भट्टे के विरुद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 यथासंशोधित की धारा-31ए के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्न बन्दी आदेश जारी किया जाता है:-

1. यह कि आपके ईट भट्टों के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
2. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आपके ईट भट्टा को मिलने वाली खनन अनुज्ञा तथा लाइसेन्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दें।

Rutyagi
मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों, जिला पंचायत, खनन विभाग एवं अन्य सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, कुशीनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश, शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 303/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 15.03.2021 तथा शासनादेश संख्या 582/81-7-2021-39(पर्या)/2014-टी00सी0-1 दिनांक 08.07.2021 के अनुपालन में संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संलग्न सूची में अंकित ईट भट्टों के विरुद्ध जारी बन्दी आदेशों को तत्काल सम्बन्धित ईट भट्टों को प्राप्त करायें एवं अनुपालन सुनिश्चित कराकर अनुपालन आख्या अविलम्ब प्रेषित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी
(वृत्त-6)

स्पॉट मेमो

कार्यवाही दिनांक: 10/3/2026

मेसर्स (जे० डी० एम० ईट उद्योग, 2710- चौबेटोला (देवरिया टोला) पो०- होखलापुर
तब- पड़रौना, कुशीनगर
को मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०- 271/2025 शिवेन्द्र सिंह बनाम
उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.12.2025 एवं उ०प्र० राज्य बोर्ड के
बन्दी आदेश H.C.3441/26 या 132/26 के अनुपालन में आज दिनांक 10/03/26 को उक्त ईट भट्टे का जिला प्रशासन/पुलिस टीम, खनन विभाग,
जिला पंचायत एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ संयुक्त निरीक्षण/सर्वेक्षण किया गया। निरीक्षण
के समय ईट भट्टा संचालित पाया गया। संदर्भित ईट भट्टा उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से
स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त नहीं की गयी है। मौके पर ईट भट्टे का संचालन
कार्य बन्द कराया गया एवं उपस्थित ईट भट्टा प्रतिनिधि श्री विदेक तिवारी को उ०प्र०
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालनार्थ सहमति (जल/वायु) प्राप्त किये बिना भट्टा संचालित न किये जाने
हेतु निर्देशित किया गया।

ईट भट्टा प्रतिनिधि
विदेक तिवारी
10-03-26

अजय कुमार सिंह
कर अधिकारी
जि० प० कुशीनगर

10-03-26
अजय कुमार सिंह
जि० प० कुशीनगर
खिला प्रशासन कुशीनगर

10/03/2026
L.A
UPPCB

Abhishek
10/3/26
ब्यान अधिकारी

Nitesh kumar
10/03/2026
JE UPPCB

एम - सुरेश चंद्र
जिला प्रशासन कुशीनगर
दि - 10/03/26

ANNEXURE-18

M/s. J.D.M. Ent Udyog, Village-Chaube Tola (Deoria Tola), Tehsil-Padrauna, Distt-Kushinagar.



EC Calculation of Brick Kilns in compliance of Hon'ble NGT Order dated 22-12-2025 in the matter of "O.A. No. 271 of 2025 Shivendra Singh Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board & Ors."

S. No	Name & Address of Brick Kiln	Date of Production Starts	Inspection Date	Total non Complying days	EC Calculation	Total amount
1.	M/s. Maa Champa Enterprises (earlier known as Premi Ji Bricks Pvt. Ltd.), Village-Gangrani, Post-Horlapur, Tehsil-Padrauna,, Distt-Kushinagar.	01-10-2025	10-03-2026	161 Days	Penalty = PI x N x R x S x LF PI = Pollution Index Pollution Index is 41-59 for Orange Category Industries. So PI = 50 N = Number of Days (161 Days) R = Rs. 250.00 S = 0.5 Category of Industry (for Small category 0.5, Medium Cate.-1.0 & Large Cate.-1.5) LF = Location factor (Location factor for population less than 1.0 Million is 1.0) LF = 1.0 Penalty Rate= PI x N x R x S x LF = 50 x 161 x 250 x 0.5 x 1.0 = 10,06,250.00	Rs. 10,06,250.00
2.	M/s. India Ent Udyog, Village-Rasulpur, Post-Pakdi Bujurg, Tehsil- Padrauna,, Distt- Kushinagar	01-10-2025	10-03-2026	161 Days	Penalty = PI x N x R x S x LF PI = Pollution Index Pollution Index is 41-59 for Orange Category Industries. So PI = 50 N = Number of Days (161 Days)	Rs. 10,06,250.00


L.A


Jai



					<p>R = Rs. 250.00 S = 0.5 Category of Industry (for Small category 0.5, Medium Cate.-1.0 & Large Cate.-1.5) LF = Location factor (Location factor for population less than 1.0 Million is 1.0) LF = 1.0 Penalty Rate = $PI \times N \times R \times S \times LF$ = $50 \times 161 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$ = 10,06,250.00</p>	
3.	M/s. Bharat Ent Udyog, Village-amwa Bujurg, Post-Kubersthan, Tehsil-Padrauna, Distt-Kushinagar	01-10-2025	10-03-2026	161 Days	<p>Penalty = $PI \times N \times R \times S \times LF$ PI = Pollution Index Pollution Index is 41-59 for Orange Category Industries. So PI = 50 N = Number of Days (161 Days) R = Rs. 250.00 S = 0.5 Category of Industry (for Small category 0.5, Medium Cate.-1.0 & Large Cate.-1.5) LF = Location factor (Location factor for population less than 1.0 Million is 1.0) LF = 1.0 Penalty Rate = $PI \times N \times R \times S \times LF$ = $50 \times 161 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$ = 10,06,250.00</p>	Rs. 10,06,250.00
4.	M/s. S.N.G. Ent Udyog, Village-Maharani, Post-Kubersthan, Tehsil-	01-10-2025	10-03-2026	161 Days	<p>Penalty = $PI \times N \times R \times S \times LF$ PI = Pollution Index Pollution Index is 41-59 for Orange Category Industries.</p>	Rs. 10,06,250.00


L.A


Rajendra



	Padrauna, Distt- Kushinagar				<p>So PI = 50 N = Number of Days (161 Days) R = Rs. 250.00 S = 0.5 Category of Industry (for Small category 0.5, Medium Cate.-1.0 & Large Cate.-1.5) LF = Location factor (Location factor for population less than 1.0 Million is 1.0) LF = 1.0 Penalty Rate = $PI \times N \times R \times S \times LF$ = $50 \times 161 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$ = 10,06,250.00</p>	
5.	M/s Shri Ram Singh HUF Village Singha, Post-Kubersthan, Tehsil-Kasya, Distt- Kushinagar	01-10-2025	09-03-2026	160 Days	<p>Penalty = $PI \times N \times R \times S \times LF$ PI = Pollution Index Pollution Index is 41-59 for Orange Category Industries. So PI = 50 N = Number of Days (160 Days) R = Rs. 250.00 S = 0.5 Category of Industry (for Small category 0.5, Medium Cate.-1.0 & Large Cate.-1.5) LF = Location factor (Location factor for population less than 1.0 Million is 1.0) LF = 1.0 Penalty Rate = $PI \times N \times R \times S \times LF$ = $50 \times 160 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$ = 10,00,000.00</p>	Rs. 10,00,000.00


L.A



for 500




6.	M/s. J.D.M. Ent Udyog, Village-Chaube Tola (Deoria Tola), Tehsil-Padrauna, Distt-Kushinagar	01-10-2025	10-03-2026	161 Days	Penalty = $PI \times N \times R \times S \times LF$ PI = Pollution Index Pollution Index is 41-59 for Orange Category Industries. So PI = 50 N = Number of Days (161 Days) R = Rs. 250.00 S = 0.5 Category of Industry (for Small category 0.5, Medium Cate.-1.0 & Large Cate.-1.5) LF = Location factor (Location factor for population less than 1.0 Million is 1.0) LF = 1.0 Penalty Rate = $PI \times N \times R \times S \times LF$ $= 50 \times 161 \times 250 \times 0.5 \times 1.0$ $= 10,06,250.00$	Rs. 10,06,250.00
----	---	------------	------------	----------	---	------------------

The above report is submitting for your perusal and necessary action.


 (Dr. R.K. Singh)
 L.A.


 (Ram Milan Verma)
 S.A.


 (Purnaditya Pratap Singh)
 A.E.E.

Regional Officer,


 11/03/2026